उत्तर प्रदेश शासन
दित्यांगजन संशक्तीकरण अनुभाग-2
संख्या-81/2019/1700(ए)/65-2-2019-185/97
लखनऊ: दिनांक 21 जून, 2019

प्रकाश
संविधान के अनुसार-162 के अंश प्रदत्त कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल
उत्तर प्रदेश में दित्यांगजन को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की वस्तु में लिखित
यात्रा सुविधा नियमावली-1998 एवं समय-समय पर जारी संशोधनों को अवक्रमित करते हुये एक
नवीन नियमावली बनाये जाने की सहज स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| संक्षिप्त नाम- | इस नियमावली का नाम "उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
cी चंद्रा में दित्यांगजन को लिखित यात्रा सुविधा नियमावली-2019" होगा। |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| उद्देश्य एवं प्रयोजन- | दित्यांगजन को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन की वस्तु के 
माध्यम से आयोजन सुविधा उपलब्ध कराना। |
| प्रारम्भ- | यह नियमावली तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी। |
| परिभाषा- | इस नियमावली के अनुसार जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात विरूद्ध न हो, इस नियमावली में:- |
| पात्रता | इस नियमावली के अन्तर्गत केवल उन्ही दित्यांगजन को सुविधायों 
अनुमति होगी जो दित्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 में परिभाषित दित्यांगताओं से प्रभावित हो और उनकी दित्यांगता का 
प्रतिशत न्यूनतम 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो। |

1.- यह शासनाधिकार इंस्ट्रुक्शन के अनुसार किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2.- इस शासनाधिकार की प्रमाणित बेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in में संपादित की जा सकती है।
<table>
<thead>
<tr>
<th>6. अनुमन्त्र सुविधायें</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(क)-निगम द्वारा संचालित साधारण बसों में दिव्यांगजन को निश्चल बस यात्रा सुविधा बसों के अन्तिम गतिविधि स्थल तक, चाहे वह प्रदेश की सीमा के अन्दर हो या प्रदेश की सीमा के बाहर हो, अनुमन्त्र होगी।</td>
</tr>
<tr>
<td>(ख)-80 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगजनता अथवा बहु दिव्यांगजनता से प्रभावित व्यक्ति हेतु एक सहयोगी को भी निश्चल बस यात्रा सुविधा अनुमन्त्र होगी।</td>
</tr>
<tr>
<td>(ग)-यह सुविधा वायुशीतित, शयन्यान, वातानुकूलित तथा वीडियोयूक्त बसों पर लागू नहीं होगी।</td>
</tr>
<tr>
<td>(घ)-इस यात्रा हेतु संबंधित दिव्यांगजन तथा उसके सहयोगी को यात्री कर का भुगतान नहीं करना होगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>(च)-यह सुविधायें दिव्यांगजन को पूरे वित्तीय वर्ष में की गयी यात्रा हेतु अनुमन्त्र होगी।</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>7. शर्तें</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>यात्रा प्रारम्भ करते समय दिव्यांगजन द्वारा आधार कार्ड एवं मुख्य चिकित्साधिकारी/सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र अथवा भारत सरकार द्वारा निर्मित यू0डी0आई0डी0 कार्ड मूल रूप में निगम के अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी को अवलोकित कराया जायेगा।</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>8. भुगतान की व्यवस्था</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(क)-निगम के अधिकारी/कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस लियमावली में दी गयी पात्रता एवं शर्तों की व्यवस्था के अधीन दिव्यांगजन को मात्र इस लियमावली द्वारा अनुमन्त्र सुविधायें ही दी जा रही हैं।</td>
</tr>
<tr>
<td>(ख)-निगम के अधिकारी/कर्मचारी दिव्यांगजन द्वारा की जा रही यात्रा का पूर्ण विवरण तथा संचालित दिव्यांगजन को मुख्य चिकित्साधिकारी/सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र/आधार कार्ड/भारत सरकार द्वारा निर्मित यू0डी0आई0डी0 कार्ड संख्या का अंकन अभीलेखों में किया जायेगा और यात्रा करने वाले दिव्यांगजन के हस्ताक्षर करकर सूची संरक्षित की जायेगी।</td>
</tr>
<tr>
<td>(ग)-निगम द्वारा इस लियमावली के तहत दिव्यांगजन द्वारा की गयी यात्राओं के बारे में अभीलेख विद भुगतान हेतु निदेशक को प्रस्तुत किये जायेगे।</td>
</tr>
<tr>
<td>(घ)-विल प्रस्तुत करते समय निगम द्वारा लिम्ब प्रमाणक भी दिया</td>
</tr>
</tbody>
</table>
जायेगा:-

(i)-निगम द्वारा भुगतान हेतु जो बिल प्रस्तुत किये जा हैं, वह इस नियमावली में दी गयी पात्रता एवं शरीर की व्यवस्था के अधीन दित्यांगजन को मात्र इस नियमावली द्वारा अनुमूल्य सुविधाओं से संबंधित है।

(ii)-निगम द्वारा प्रस्तुत बिल के द्वारा जिस धनराशि की मांग की जा रही है, वह दित्यांगजन की वास्तविक याता व्यय की प्रतिपूर्ति के बारे में है।

(च)-निगम द्वारा दित्यांगजन को उपलब्ध करायी जा रही निःशुल्क बस यात्रा सुविधा के लिये केवल वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमूल्य होगी। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार के दण्ड व्याज की देयता अनुमूल्य नहीं होगी।

(छ)-निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल का भुगतान संक्यक परिक्षणोपरांत निदेशक द्वारा किया जायेगा।

(ज)-निगम द्वारा बिल प्रस्तुत करने समय इस सुविधा का उपभोग करने वाले लाभार्थियों की एक सूची भी उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके आधार पर निदेशक द्वारा यथा-आवश्यकता भौतिक सत्यापन की कार्यवाही करायी जा सकेगी।

(झ)-यदि किसी स्तर पर भौतिक सत्यापन में किसी प्रकार की अनिहिमतता प्रकाश में आती है, तो उसके लिए निगम उत्तरदायी होगा।

9. निरसन और व्यापृंति

इस नियमावली के प्रभावी होने से पूर्व से प्रचलित सभी नियमावलियों/कार्यकारी निर्देश/शासनाधेश निःशास्त्रीय हो जायेंगे। किन्तु उन व्यवस्थाओं के तहत जो सुविधाओं अनुमूल्य करायी गयी हैं, वह इस नियमावली की व्यवस्थाओं के तहत की गयी समझी जायेगी।

महेश कुमार गुप्ता
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनाधेश इक्षुकारणिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनाधेश की प्रमाणितता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in में सत्यापित की जा सकती है।
संख्या: 81/ 2019/ 1700(ए)165-2-2019 तदनांक।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावली हेतु प्रेषित:-
(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/ आडिट प्रथम, 30प्र0, प्रयागराज।
(2) प्रमुख सचिव, माध मुख्यमंत्री, 30प्र0।
(3) निजी सचिव, माध मंत्री, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, 30प्र0।
(4) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, 30प्र0, शासन।
(5) अपर मुख्य सचिव, चित्त विभाग, 30प्र0, शासन।
(6) प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, 30प्र0, शासन।
(7) प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, 30प्र0, शासन।
(8) राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, 30प्र0, लखनऊ।
(9) चालाक निदेशक, 30प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम, 30प्र0, लखनऊ।
(10) समस्त मण्डलायुक्त (द्वारा निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)।
(11) निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
(12) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0, लखनऊ को व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने हेतु।
(13) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)।
(14) समस्त मण्डलीय उप निदेशक/ जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, 30प्र0 (द्वारा निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, 30प्र0)।
(15) दिव्यांगजन सशक्तिकरण अनुभाग-1/ 3।
(16) गार्ड फाइल।

आजा से,
अजीत कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनाधिकार इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनाधिकार की प्रमाणिता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in में सत्यापित की जा सकती है।